[श्री शिव चन्द्र झा]

करने की कोशिश की है। स्पीकर साहब ने उसको शायद इस वास्ते नहीं आने दिया है क्योंकि उसके स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रीजंज में आबस्ट्रक्ट शब्द आता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई है। आप जानते ही हैं जेलर ने नेहरूजी के पास डिकलाइन आफ दी वेस्ट पुस्तक नहीं जाने दी क्योंकि उसमें डिक्लाइन शब्द था। इसमें चीफ चूंकि आबस्टैक्ट शब्द था, इस वास्ते . . .

MR. CHAIRMAN: There is no use proceeding with this argument because I cannot do anything in the matter. The notice was disallowed by the Speaker and he will have to take it up with the Speaker. It cannot be decided on a point of order.

श्री शिव चन्द्र झा: मैं चाहता हूं कि आप नियम 65 देख लें और स्पीकर साहब को निवेदन कर दें कि वह इस पर फिर से गौर करें और मुझे इस विधेयक को पेश करने की अनुमति दें।

MR. CHAIRMAN: Of course, it will be conveyed to the Speaker because it is already on record.

15.38 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(Amendment of articles 4, 80, etc.) by Shri Shiva Chandra Jha

MR. CHAIRMAN: Further consideration of the following motion moved by Shri Shiva Chandra Jha on the 8th August, 1969:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration".

Total time allotted is one hour of which he has already taken 25 minutes.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): इस पर आप समय बढ़ाइये। तेलंगाना की बात को आप ने देख लिया है। इसमें भी सैंटर स्टेट रिलेशंज की बात है। इसके लिए आप समय बढ़ाइये।

इस विधेयक में मैंने कहा है कि राज्य सभा में पापुलेशन के आधार पर रिप्रिजेंटेशन का जो अभी तरीका है उसको न रख कर हर राज्य और यूनियन टैरिटरी से आप चार चार रिप्रिजेंटेटिव लें। ऐसा अगर आपने किया तो बराबरी की भावना पैदा होगी और राज्य सभा की बनावट में जो त्रुटियां हैं, वे दूर होंगी। यह बात जब कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में इस पर बहस हो रही थी तो प्रोफेसर के० टी० शाह और लोक नाथ मिश्र ने काफी इसकी मुखालिफत की और बराबरी के आधार पर राज्य सभा में नुमाइन्दगी करने की मांग की। प्रोफेसर के० टी० शाह का कहना था कि 4 नुमाइन्दे हर राज्य से लिए जायें और लोक नाथ मिश्र का था कि 3 लिए जायें। लेकिन खैर, आखिर में यूनियन कान्स्टीट्यूशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह टी० टी० कृष्णमाचारी ने पेश की और उन्होंने कहा कि राज्यों का मामला अभी अस्थिर है कि यह कैसा रूप लेगा। राज्यों को नये रूप में बनाना है। अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है, इसीलिए राज्यों की नुमाइन्दगी किस तरह से राज्य सभा में हो इस की तफसील में हम नहीं गए। यूनियन कांस्टीट्यूशन कमेटी की रिपोर्ट से मैं पढ़ कर आप को सुनाता हूं:

Volume III, page 408:

"The Committee did not go into the details of the revised scheme of allocation of seats in the Council of States prepared by office, as owing to mergers of various types the position of the Indian States is still unsettled. They were of the view that it was advisable to postpone considera-

tion of the detailed allocation of seats to a later date. The Committee while reiterating their previous decision that the representation of units in the Council of States shall be on the scale of one representative for every million of the population upto five million of the population plus one representative for every additional two millions of the population thereof considered it unnecessary to adhere to the other decision that the maximum number of representatives from any one unit shall be limited to 25. It was found that only two States, namely, Madras and Uttar Pradesh would be affected by the imposition of such a limitation and that abrogation of this limit while securing uniformity would involve an increase of seven seats in the total number of seats which would be well within the overall maximum of 250 . . . ."

15.24 hrs.

[SHRI M. B. RANA *in the Chair*]

यह यूनियन कांस्टीट्यूशन कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें और लोगों के अलावा एक आदमी अभी भी इस सदन के सदस्य हैं, वह भी उसमें थे, श्री जगजीवन राम, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस की तफसील में कमेटी क्यों नहीं गई और क्या क्या बातें हुई थीं। तो कृष्णमचारी जी ने रिपोर्ट यूनियन कांस्टीट्यूशन कमेटी को पेश की और कहा कि चूंकि राज्यों के निर्माण का जो मामला है उस पर अभी पूरे रूप में फैसला नहीं हो पाया इसीलिए कमेटी इसके तफसील में नहीं गई और पापुलेशन के आधार पर नुमाइन्दगी की बात उन्होंने रखी। तो अब वह बात कांस्टीट्यूशन में लाई गई।

फिर अध्यक्ष महोदय, जो स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कांस्टीट्यूशन सेवेन्थ अमेंडमेंट आया और उससे मोटे तौर से आप कह सकते हैं कि यूनियन टेरीटरीज का ग्रेड छोटी छोटी स्टेट्स को दे दिया गया और उनके भी नुमाइन्दे राज्य सभा में आने लगे। यह परिस्थिति इस प्रकार बनी थी। अब हमको यह देखना है कि दुनिया में कहां कहां पर बराबरी के आधार पर नुमाइन्दगी है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड और सोवियत यूनियन इन चार जगहों में यह है। अमेरिका में जो बराबरी के आधार पर नुमाइन्दगी हुई उसके बारे में फेडरलिस्ट पेपर को हम पढ़ें तो पता लगेगा। अफसोस की बात है कि फेडरलिस्ट पेपर लाइब्रेरी में है नहीं। उस में हम पढ़ें तो देखेंगे कि मेडीसिन ने कहा कि सिनेट ट्रूथ, जस्टिस और रीजन को अपहोल्ड करने के लिए बनाई जाती है लेकिन. उसका एक नेशनल करेक्टर होना चाहिए। तो नेशनल कैरेक्टर और नेशनल रूप देने के लिए उनको बराबरी के आधार पर नुमाइंदगी देनी पड़ी। अमेरिका एक राज्य नहीं था। शुरू में अमेरिका को एक राज्य बनाने के लिए और बराबरी का आधार फैलाने के लिए सीनेट का कांस्टीट्यूशन बराबरी के आधार पर हुआ। यही बात मोटे तौर पर आस्ट्रेलिया में भी है और स्विटजरलैंड में है। अब सवाल यह है कि एफेक्टिव रूप में फेडरल गवर्नमेंट जो हो उस के लिए लाजिमी है कि बराबर के आधार पर कांस्टीट्यूएंट स्टेट्स जो होते हैं उनकी नुमाइन्दगी अपर हाउस में हो। इस के ऊपर प्रोफेसर व्हेरे जो यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने लिखा है ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं। मैंने एक आर्टिकल ही नेशनल हेराल्ड में इसके ऊपर लिख दिया है जो प्रकाशित हो चुका है। प्रोफेसर व्हेरे कहते हैं कि एफेक्टिव फेडरल गवर्नमेंट के लिए लाजिमी है कि कांस्टीट्यूएंट स्टेट्स का रेप्रेजेन्टेशन बराबरी के आधार पर हो। और इसी आधार पर श्री डी०डी० बसु अपनी कमेंट्री आन दि कांस्टीट्यूशन में कान्क्लूड करते हैं और कहते हैं कि हमारा फेडरल

[श्री शिव चन्द्र झा]

स्ट्रक्चर जो है वह स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है और जो स्टेट्स की सुरक्षा के लिए आधार होना चाहिए वह ऐबसेंट है। यह पेज 16 पर है:

"From this has resulted a departure from the strict federal principal of several points:"

और आगे पेज 17 पर फिर कहते है :

"Such being the composition of the upper Chamber in our Constitution, the federal safeguard against the interests of the lesser states being overriden by the interests of the larger or more populated states is absent under our Constitution."

स्ट्रिक्टली फेडरल एफेक्टिव गवर्नमेंट के लिए जो स्टेट्स का रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिए वह हमारे फेडरल स्ट्रेक्चर में ऐबसेंट है । यह श्री डी०डी० बसु का कान्क्लूजन है । अब सवाल यह है कि दुनिया के और आम दर्शन के हिसाब से आज हिन्दुस्तान में एक परिस्थिति आई, हम जानते हैं कि आजादी के बाद हमारे देश के विभिन्न भागों में गैरबराबरी बढ़ी है । तेलंगाना की समस्या पर अभी बहस हुई है । सरकार की नीतियों की वजह से आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है । इसी तरह से और भी राज्य हैं । बिहार में मैथिली स्पीकिंग लोग हैं । उनकी समस्या की उपेक्षा हुई है सरकार की ओर से। वह दो करोड़ लोग हैं जब कि तेलंगाना के लोग डेढ़ करोड़ हैं । उन दो करोड़ से भी ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कौन कह सकता है कि वह भी वही रास्ता अख्त्यार नहीं करेंगे जो तेलंगाना में आज हुआ है ? तो यह राज्यों के बीच में जो गैरबराबरी है इसी के लिए यह जरूरी है कि हम बराबरी की भावना को फैलाने के लिए उनका रेप्रेजेन्टेशन जो है वह राज्य सभा में बराबरी के आधार पर हो । अभी जो रेप्रेजेन्टेशन है वह पापुलेशन के आधार पर है। इससे क्या है अध्यक्ष महोदय, कि यू० पी० के 14 सदस्य राज्य सभा में हैं और मणिपुर वगैरह से एक हैं। फोर्थ शिड्यूल में यह चीज है, मैंने संशोधन दिया है कि इस फोर्थ शिड्यूल को हटा दिया जाय । यू० पी० से 14 हैं, हिमाचल प्रदेश से 2, मणिपुर से, त्रिपुरा से, पांडीचेरी से एक एक । तो बराबरी की भावना राज्यों के बीच में फैले, यूनियन टेरीटरीज के बीच में फैले, इसके लिए यह जो तरीका है रेप्रेजेन्टेशन का पापुलेशन के आधार पर वह हम खत्म करें और हर राज्य और यूनियन टेरीटरी से चार चार रेप्रेजेन्टेटिव्ज हमारे राज्य सभा में जायें । ऐसा करने से स्टेट्स और यूनियन टेरीटरीज को मिलाकर 22 जो राज्य हैं उनके 88 रेप्रेजेन्टेटिव्ज हो जाएंगे और 12 प्रेसीडेंट के नामिनी होंगे, इस प्रकार कुल 100 सदस्य राज्य सभा के होंगे । इससे खर्चा 50 परसेंट से ज्यादा कम हो जाएगा और एक बराबरी की भावना बढ़ेगी देश में । समाजवाद और जनतंत्र के दृष्टिकोण से भी यह लाजिमी हो जाता है कि हम बराबरी की भावना लाएं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके दर्शन और संदर्भ में कार्य करते हुए जो परिस्थितियां हिन्दुस्तान में हैं, जो गैर-बराबरी की भावनाएं हैं, उनको सामने लाते हुए, फिजूल-खर्ची की बातें जो हैं उनको सामने रखते हुए एक मात्र रास्ता यही है, यदि आप समाजवाद और जनतंत्र की ओर ईमानदारी से बढ़ना चाहते हैं तो हमारे स्ट्रक्चर में कम से कम जो राज्य सभा की नुमाइन्दगी है उसमें आप बराबरी लाएं । चार चार के आधार पर आप प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरीटरी से सदस्य राज्य सभा के लिए लाएं । इससे बराबरी हो जाएगी और आप का खर्चा भी कम हो जाएगा । यही मेरा संशोधन है । इसी के लिए संविधान के आर्टिकल 4 और 80 (वी) तथा चौथे शिड्यूल को हटाने का मेरा संशोधन है और मैं दरख्वास्त करूंगा कि सदन मेरे इस विधेयक को पास कर दे ।

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor): Mr. Chairman, this Bill is a good one, because although the mover has talked about the question of expenses, it really involves much more than that. If India has to be a federation, then it must be a true federation and not domination of small States by big States. No federation can remain for all times to come, secessionist movements are bound to come, if the small States are bound together and they are always dominated by the big States, which always look only to their own interests. I do not mind whether it is a good federation or a bad federation, but if Indian unity has to be maintained, if India has to remain as one, then it must be a true federation. And no true federation can exist where the federal units are not considered equal in all respects and where there are big States and small States.

We have to discuss the Centre-State relations in this context. The present-day discussion of the Centre-State relations is a complete misrepresentation of the actual position. The real question is how to protect the Centre against the invasion of a combination of States. If the Centre cannot be protected against the invasion by a combination of States, ruled by the opposition or any other party, then I think the smaller States would be enslaved by that combination of States. When leaders of big States go to the ratholes of their own and decide on national issues, one feels seriously left out. These things are allowed to happen because our federal structure is absolutely false.

America is a good example of a federation. Senate is the most powerful body there and in that body all the States, whether big or small, powerful or weak, have equal representation. That was the guarantee, civilised promise given to the units by the Centre in the United States that you would be equal, you would be considered equal, you will not be dominated by any other State, because it is real participation in the citizenship of a nation.

Here we come up against the question of breaking up of big States. The argument which is generally given in favour of break up is this. When Manipur and Himachal Pradesh could remain separate States, why not Telengana? The reason why it is opposed is that Telengana means break up of a big State and break up of State autonomy also. The linguistic principle, which has been considered a great principle, is very meaningless, extremely meaningless. Mr. Sally Harrison has described the linguistic principle in one of his books. He has stated that if Indian unity is going to be endangered, it is going to be endangered by the chauvinism of language fanatics.

When some people in Andhra wanted to break it, instead of welcoming it, we have given them bullets. This is the state of affairs which we are witnessing in our country. I do not understand it. I can only imagine the motive behind it, which is quite simple. The Centre has been ruled all along by those people who manage the big States. Therefore, they are not going to allow the big States to be broken up. At the same time, they want to pulverise the small States.

Therefore, from this point of view, this is a constructive suggestion. Unless we do something about it, the way things are happening in India, democracy cannot survive here, because India is not particularly suited to democracy. So far as temperament is concerned, it is dominated by caste, narrowness, regionalism, pettiness and so on. Unless we are able to see that the big States and small States participate in the national citizenship, we cannot maintain our unity. Now people get into the rathole of their State before deciding whether they have to eat rice or chapathi. This is the situation which we have to face today. Unless we are able to equalise big and small States, or alternatively break up the big States our unity cannot be maintained. Those of us who have some common-sense,

[Shri Bedabrata Marua]

some intelligence, they will not tolerate this disparity between States and will demand some positive steps to be taken for equality of States.

So, I support this Bill and I would not only say that there should be equal representation but that some way should be found out to break up the bigger States and have States with 30 or 40 lakhs of people. They will not have the same political structure; they may have lesser number of ministers with lesser salaries and they can legislate. We can have small States without more expenditure. But once the linguistic principle breaks down and we have small States, India will not be a loser. I will call upon the parties also to go in for that. I do not know how the Communist Party will think. In 1920 Stalin wrote about the principle of nationalities in India and from that time they continue to support linguistic states. I think, it is an about 40-year old ideological exercise. They should also go in for smaller States.

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री शिव चन्द्र झा के संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं । माननीय सदस्य ने अपने विधेयक के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही हैं, बहुत समय उन्होंने कांस्टीटयूएन्ट असेम्बली की डिबेट को पढ़ने में बिताया । उनके कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के बड़े राज्य और छोटे राज्य सब का एक रंग रिप्रेजेन्टेशन कान्सिल आफ स्टेट्स में होना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने अमरीका और आस्ट्रेलिया का हवाला भी दिया । सभापति महोदय, मैं यह नहीं समझता हूं कि हर बात में हिन्दुस्तान को अमरीका और आस्ट्रेलिया की देखा-देखी करना क्यों आवश्यक है । यहां पर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, बिहार जैसा बड़ा राज्य है लेकिन दूसरी तरफ नागालैंड जैसा बहुत छोटा राज्य भी है, अगर उसको कान्सिल आफ स्टेट में ईक्वल रिप्रेजेन्टेशन दे दिया जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई लौजिकल सौल्यूशन होगा । यह तो यही बात हो जायेगी—अन्धेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा ।

माननीय सदस्य ने इसमें समाजवाद का भी जिक्र किया है । उन्होंने कहा कि अगर एक स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेन्टेशन दिया जाएगा तो वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के मुताबिक होगा—मैं उनसे सहमत नहीं हूं । इसी सिलसिले में उन्होंने मिथला राज्य की बात भी कही और यह भी कहा कि मिथला, जो बिहार का एक अंग है, उसमें लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है और वहां के लोग चाहते हैं कि उनका भी अलग राज्य हो । सभापति महोदय, मैं भी उसी इलाके से आता हूं और कुछ दिन पहले एक माननीय मंत्री का स्टेटमेन्ट भी मुझे देखने को मिला जो उन्होंने दरभंगा जिले की एक कान्फ्रेंस में दिया था । मैं कहना चाहता हूं कि मिथला के लोग कभी भी किसी भी हालत में अलग राज्य नहीं चाहते हैं । भले ही किसी खास फिरके के लोग ऐसा चाहते हों — हमारे यहां बिहार में एक झा–झा–कम्पनी कहलाने वाले लोग हैं, भले ही झा–कम्पनी के लोग ऐसा चाहते हों, लेकिन जहां तक मिथला के लोगों का ताल्लुक है, मिथला के मैजोरिटी लोग अलग राज्य नहीं चाहते हैं । सभापति महोदय, मैं यह भी समझता हूं कि भारतवर्ष में अभी जो स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वह बहुत अन-साइन्टिफिक हुआ है । कहीं पर तो लैंग्वेज को लेकर कर दिया है, लेकिन उस थ्योरी के अनुसार यानी एका भाषा–भाषी स्टेट बने ऐसा सब जगह नहीं कर सकते हैं । बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सब हिन्दी भाषा-भाषी हैं, क्या आप उन सबका एक प्रदेश बना सकेंगे ? कभी नहीं बना सकेंगे और दूसरी तरफ आप दूसरी बातों को लेकर अलग राज्य बनाना चाहते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का रिआर्गेनाइजेशन फिर

से होना चाहिये, साइन्टिफिक बेसिज पर फिर से स्टेट्स का बटवारा होना चाहिये ।

एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पार्टेन्स के ऊपर स्टेट्स का बटवारा होना चाहिए। उसके बाद अगर यह बिल यहां पर आये तो यह सपोर्ट करने के लायक हो सकता है। मौजूदा परिस्थिति में जहां उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, बिहार जैसे बड़े राज्य हैं और दूसरी तरफ नागालैंड जैसे छोटे राज्य हैं, राज्य सभा में एक लेविल पर रिप्रेजेन्टेशन होना मैं अच्छा नहीं समझता हूं । इसके बजाय माननीय सदस्य यदि यह बिल लाते कि राज्य सभा को ही एबालिश कर दिया जाये, जैसे कि वेस्ट बंगाल और पंजाब ने सेकेन्ड चेम्बर को एबालिश करने की बात की है, तो मैं उस बिल को अपना समर्थन दे सकता था क्योंकि वह एक समझने की बात हो सकती थी कि हिन्दुस्तान में यहां पर सेकेन्ड चेम्बर रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे आप जानते हैं यू०एस०ए० में सेकेन्ड चेम्बर फर्स्ट चेम्बर से भी पावरफुल हैं और यू०के० में भी हाउस आफ लार्डस के कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन्स हैं, वह हेरिडिटी राइट्स को रिप्रेजेन्ट करता है । वह बहुत बड़ा हाउस है । वैसा रिप्रेजेन्टेशन हमारे यहां नहीं है । इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि इस तरह का ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये जिसमें कोई तथ्य न हो । इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर बड़े राज्य और छोटे राज्य को एक लेविल रिप्रेजेन्टेशन दिया जाये । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय संविधान में जैसा संशोधन करने के लिये यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। आम तौर से जब हमारे देश के राज्यों के एकीकरण का सवाल आया था कि तभी यह आधार माना गया था भाषाई सांस्कृतिक रहन सहन और आचार-विचार के आधार पर हमारे देश के राज्यों की जो स्थिति है उसका पुर्नविभाजन और समुचित विभाजन किया जावेगा । लेकिन जैसा कि आज हम देख रहे है भाषा का आधार समाप्त होता जा रहा है और लोग क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर अलग-अलग राज्यों के निर्माण की बात कर रहे हैं । अच्छा होता यदि इस देश में हम इस प्रकार से राज्यों के विभाजन की स्थिति पैदा करते कि जो पिछड़े राज्य है उनको अलग रखते और जो प्रगतिशील है जिनका अधिक आर्थिक विकास हो चुका है उनको अलग रखते। लेकिन कुल मिलाकर विभाजन की समस्या अन्त में हमारी राजनीतिक और राष्ट्रीय चरित्र की समस्या है। इस बड़े देश में यदि हम क्षेत्रीय मनोवृत्तियों और संकुचित मनोवृत्तियों से उपर नहीं उठ सकते तो हम देश का विकास नहीं कर सकते करोड़ों लोगों को हमने जो वचन दे रखे हैं सुख सुविधा देने के सम्बन्ध में उनको हम पूरा नहीं कर सकते । यदि हम लोकतन्त्र में चाहते है कि छोटे से छोटे आदमी को भी यह अनुभव हो कि सुव्यवस्थित समाज में और स्वराज्य में हम रहे है तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की जो बुनियादी बात है-समानता इक्वलिटी उस पर हमें ध्यान देना चाहिये । मैं समझता हूं हमें लोक सभा में और राज्य विधान सभायों में जनसंख्या का आधार मानकर जन-निधित्व की पूर्ति कर दी है। इसलिए यदि हम चाहते है कि बड़े राज्यों के मुकाबले में छोटे राज्यों का दर्जा और महत्व भी स्वीकार किया जाये तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि राज्य सभा में छोटे राज्यों और बड़े राज्यों को समान दर्जा दिया जाए। यदि हम इस बात का ख्याल करते है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बिहार बहुत बड़ा राज्य है और उसके मुकाबले में केरल, राजस्थान, उड़ीसा छोटे हैं तो मैं समझता हूं इससे लोकतंत्र का जो आदर्श है वह उसके सामने धूमिल पड़ जाता है। राज्यसभा के अन्दर सभी राज्यों से हम जो प्रतिनिधित्व लेते है वह राज्यों की समुचित इकाई के रुप में लेते है।

[श्री ओंकार लाल बेहरा]

वहां पर भी जनसंख्या का आधार मानकर चलना एक प्रकार से रेपिटेशन होगा। लोक सभा में जनसंख्या के आधार पर देश का प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो जैसा कि अन्य देशों जैसे अमरीका, स्वीटजरलैंड आस्ट्रेलियां में है मैं समझता हूं यहां पर भी यदि हम लोक तंत्र को परिपुष्ट करना चाहते है तो यह एक चेकिंग होगी अगर हम राज्य सभा के अन्दर समान दर्जा राज्यों को देंगे। राज्यों को भावनाओं के आधार पर वहां चेकिंग रहेगी और जनसंख्या का दबाव डालने की जो प्रवृति चल गई है वह भी समाप्त होगी। आज देश के अन्दर जो भी बड़े-बड़े राज्य है उनका दबाव छोटे राज्यों पर हैं। मैं इस बात को निश्चित रूप से मानता हूं कि आज देश में बड़े राज्यों की वजह से छोटे राज्यों को तकलीफ हो रही है। जब भी कभी जनसंख्या का सवाल आता है तो बड़े राज्यों की वजह से छोटे राज्य डामिनेशन की स्थिति में आ जाते हैं और उनको दबाव महसूस करना पड़ता है। जैसे कि आज उद्योगों के विकास का सवाल है मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है जहां तक कि डेवलपमेंट का सवाल है एक बड़ा राज्य होते हुए भी उसकी उपेक्षा हुई है लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यदि हम राज्य सभा में छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के समान प्रतिनिधित्व देंगे तो उन पर जनसंख्या का दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हमने भाषाई आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया जिसका कड़वा मीठा फल हम चख रहे है। ऐसी स्थिति में आये तो मैं चाहूंगा न केवल तेलंगाना, विदर्भ और सौराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की जाये और उसमें हम ऐसी स्थिति पैदा करदें कि देश के अन्दर एक ही पार्लिमेंन्ट हो, एक ही राज्य सभा हो और राज्यों में जनपद, विधान सभाये या कोई भी निर्वाचित संस्थाये न हों। इससे देश में मजबूती आयेगी, देश को ताकत मिलेगी और देश के आर्थिक विकास का आप समुचित रूप से निर्वाह कर सकेंगें। मुझे मालूम है, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री इस बात को मानते थे कि छोटे छोटे राज्यों के निर्माण से कठिनाई होगी लेकिन वह कठिनाई तभी होगी जब वहां पर अनेनेसेसरी विधान सभायें, हाईकोर्टस और दूसरें सुपरफुलह खर्चे होगे। यदि हम चाहते हैं कि देश में संगठित हो तो देश के अन्दर एक पार्लिमेंट रहे, एक राज्य सभा रहे और बाकी देश को, जैसी जनता की भावनाएं हो, चाहें तो 50 टुकड़ों में देश को बाट दो। उससे देश का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करें। यदि वह बना रहेगा तो तेलंगाना, विर्दभ, सौराष्ट्र उत्तर प्रदेश और बिहार की समस्यायें सामने आयेंगी। यह जो रिप्रेजेन्टेशन की भावना श्री झा के बिल में है उसके पीछे यही भावना है कि राज्य सभा में उसको समानता का दर्जा दिया जाये लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इससे भी समस्या हल नहीं होगी। किसी क्षेत्र विशेष के डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च कर दिया जाता है और अधिकतर क्षेत्र अविकसित रह जाते हैं। यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिये बहुत गम्भीर समस्या है। राज्य सभा में इक्वल समानता का दर्जा देने की जो बात है उसको तो स्वीकार करें ही लेकिन साथ ही जो यह समस्या है जो कभी तेलंगाना के रूप में, अभी अन्य रूप में विभाजन के लिए हमारे सामने आती है उसके लिये एक कमेटी बनाये जो खास तौर से क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिये और पिछड़े हुए राज्यों को उन्नतिशील बनाने में के लिये सुझाव दे। जब आप ऐसी समिति का निर्माण करेंगे तो उससे जनता को अनुभव होगा कि स्वराज्य केवल कुछ लोगो के लिये बड़े राज्य के लिए या कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के लिये ही नहीं है देश के समस्त पिछड़ी हुई जनता के लिये है। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): The Constitution (Amendment) Bill which is before the House

seeks to reconstitute the Rajya Sabha. In our Constitution the Rajya Sabha is known as the Council of States. It means that the Upper House will represent the States and not the population. Equality of States in the Upper House is the *sine quo non* of federalism. But nobody has so far been able to prove that our Constitution is federal, and no Constitutional expert has been able to prove that it is unitary. Just like our neutral policy our Constitution also is neutral between unitary and a federal state. Hence constitutional experts and pundits call it quasi-federal. In a quasi-federal State we are neither in a unitary State nor in a federal State. We are not decided on the principle whether equality should be given to all the States in the Rajya Sabha or the Council of States. As a Party, the DMK agrees with the principle of this Bill because we stand for a true federal State. In a federal State all States should be treated equally. But in this set up, in a quasi-federal state, I doubt how far it would be useful if all the States are equally represented. But at the same time, since this Bill has been brought forth here, it is better that it should be referred to a Committee so that it can go into the matter fully and even the States' opinion can be obtained by the Committee.

Previous speakers pointed out that in the United States of America in the Senate all the States are given equal representation. Hawaii has 2 representatives, so also the biggest State of New York. But it is different here. We have difference from 1 to 34. UP has 34 Members in the Rajya Sabha but Tripura and Pondicherry have one only. For example Kerala has only 9 members. Haryana has even less than that—only 5 members whereas UP has 34, Maharashtra—19 and so on and so forth. Tamilnad has only 18. We are fourth of fifth in the rank. To have a federal State it is better to give equal status for all the States. But, at the same time, whether all the States and the Union Territories should have equal status is a moot point. It is a debatable point and the Committee can go into the matter whether Union Territories and States should be given equal representation or the Union Territories may be given fixed seats and the States can be given fixed seats and the opinion of the States and the Union Territories can be obtained. At the same time, not only this, this must be a first step to make the Constitution a federal one. As a Party our objective is to have a true federal State and this must be the first step and there are many other steps to make our Constitution a federal one. Just as in the United States, the States must be given more powers. In USA the State Governors are elected and I do not know how far it will be effective or useful in our Constitution. Here the Chief Ministers are elected. But these points have to be considered. In principle this Bill must be accepted by the House. It is a first step to make the Constitution a federal one. With this conditional support, I finish my speech.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमेन महोदय, हमारी राज्य सभा का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितनी बड़ी यह राज्य सभा है उतनी उस की कद्र नहीं है । मैं इस लिए नहीं कहता कि मुझे कोई बेइज्जती मकसूद है पार्लियामेंट के मेम्बरान की । जो लीडर्ज कहलाते हैं, वह हमारे भी लीडर्ज हैं, लेकिन उनकी पोजीशन कुछ नहीं है । हमारे यहां कहा करते थे कि चौधरी तो हो गया लेकिन ढकी छिपी चीज को हाथ लगाना है । मनी बिल भी इसी हाउस से ओरिजिनेट होता है, राज्य सभा का सिर्फ एडवाइजरी फंकशन है । बिल में जो बात कही गई है वह उनकी कद्र बढ़ाने की बात कही गई है, और मैं समझता हूं कि जैसा अमरीका में है कि हर स्टेट से दो सीनेटर होते हैं जो बहुत बड़े आदमी समझे जाते है, उससे बड़ा ओहदा वहां प्रेसीडेंट का ही होता है । सीनेटर बहुत बड़ा अटेनमेंट का

[श्री रणधीर सिंह]

आदमी बनता है । यह मैंने माना कि यहां भी कोई आम आदमी को राज्य सभा में नहीं लेते । लेकिन उसको पावर कुछ नहीं । या तो राज्य सभा कतई हो नहीं, और अगर हो तो उसको कुछ ताकत दी जाये ताकि राज्य सभा के मेम्बर होने से लोग समझे कि यह राज्य सभा में गये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अभी जो राज्य सभा के सदस्य सूबों से लिए जाते हैं, जैसे 36 यू० पी० से, 11 केरल से, 18 बंगाल से और 5 हरियाणा से और दिल्ली से शायद एक दो सदस्य लिये जाते हैं, तो यह बड़ी मछली छोटे मछली को निगलने की बात हो जाती है । थोड़ी बहुत जो पावर है, जो लोक सभा में इमबैलेंस होता है तो वहां पूरी करते हैं, वहां मैजोरिटी बन जाती है और वह मैजोरिटी पावर कनसेन्ट्रेशन के बड़ काम आती है । यू० पी० से 80 एम० पी० बन गये, महाराष्ट्र से 50, 55 एम० पी० बन गये, मैसूर के 40 बन गये और इन तीनों का एक जगह गुट बना लीजिये और देश पर राज्य कीजिये । छोटी स्टेट्स को कोई मौका ही नहीं मिलता । ये बड़े राज्य छोटे राज्यों को निकाल सकते हैं ।

सभापति जी , आप जानते हैं कि कि इंटरनेशनल ला में चाहे कोई कितना ही बड़ा राज्य हो और कोई छोटा राज्य हो , एक तरफ यू० एस० एस० आर० हो और दूसरी तरफ लक्समबर्ग हो, वे सब एक यूनिट है — जो इज्जत यू० एस० ए० के प्रसीडेंट को मिलती है, इंगलैंड की क्वीन को मिलती है, यू० एस० एस० आर० के प्रेसीडेंट को मिलती है वही क्लसेमबर्ग के हैड आफ़ दी स्टेट को मिलती है, 31 गन का सैल्यूट सब को दिया जायेगा । प्रोटोकाल की नजर में सब बराबर हैं । इसी तरह से हमारे यहां भी हर स्टेट को समान, बराबर का हक होना चाहिए । अभी क्या होता है कि बड़ी बड़ी स्टेट्स जैसे यू० पी०, महाराष्ट्र, बिहार वगैरह हैं और दूसरी तरफ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश या पौंडिचेरी हैं । तो हरियाणा और हिमाचल तो टनेंट हो गये और यू० पी०, महाराष्ट्र बम्बई, गुजरात लैंड लार्डज है, तगड़े हैं और राज लार्डज हैं, हुकूमत के लार्डज हैं । इसलिये माननीय सदस्य जो बिल लाये हैं इसकी मैं ताइद करता हूं । मैं तो चाहता हूं कि इस देश में छोटी छोटी स्टेट बन जायें तो मुझे कतई आपत्ति नहीं है, उसमें मजबूती आयेगी । जनसंघ वाले कहते हैं कि देश डिसइन्टेगरेट हो जायेगा । मैं उस से पूछना चाहता हूं कि जब यू० एस० ए० में नहीं हुआ तो हमारे यहां क्यों हो जाएगा । नम्बर आफ स्टेटस बढ़े लेकिन छोटी स्टेट हो या बड़ी स्टेट हो, उसका रिप्रजन्टेशन यूनीफार्म हो । माननीय सदस्य ने कहा कि हर स्टेट से चार मेम्बर हों, मेरी राय है कि दो, दो काफी हैं । ज्योंग्राफिकल बेसिस पर या लिंग्विटिस्क बेसिस पर 30,40 स्टेट्स कर दीजिये और राज्य सभा में हर स्टेट से दो, दो मेम्बर लिए जाये तो यह उचित होगा । यह एक माकूल चीज है, और मैं चाहुगां कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, और कनसेन्ट्रेशन आफ पावर जो कुछ हाथों में होता है, जैसे कि एक ही बड़े सूबे से प्राइम मिनिस्टर होते हैं या होते रहेंगे, वह न हो सके । मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन का पुजारी हूं लेकिन एक ही स्टेट का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए इसकी वजह यही है कि एक एक स्टेट से इतने इतने एम० पी० आ जाते हैं और हरियाणा और पौंडिचेरी का कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता क्यों कि वहां से कम लोग ही मेम्बर हो कर आते हैं । उनके दिल में जो बात है मैं उसका समर्थन करता हूं और गवर्नमेंट से चाहूंगा कि वह इसको एग्जामिन करवाये

कि नैशनल लेवल से, लीगल लेवेल से या किसी भी दूसरे लेवल से कोई खराब बात तो नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति होद , इस बिल में राज्य सभा की ओर संकेत करके कुछ सुझाव दिये गये हैं । मैं बिल के उद्देश्य का समर्थन करता हूं, परन्तु साथ ही यह अनुभव करता हूं कि इस बिल पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, शीघ्रता में उसको पास करने की आवश्यकता नहीं है ।

राज्य सभा को विशेष रूप से इसलिए खड़ा किया गया था कि चुनाव में इस प्रकार की आशंका है कि योग्यतम व्यक्ति निकलकर नहीं आ पाते । इसमें जाति के आधार पर, भाषा के नाम पर, रीजन के आधार पर, लोग आ जाते है । तथा वोट में जो योग्यतम व्यक्ति होते हैं वह रह जाते हैं क्योंकि उन जाति और भाषाभाषियों का सम्बन्ध नहीं होता है । देश के संचालन में सही व्यक्ति निकल कर आये इसलिए उनका चुनाव पार्टियों के द्वारा रखा गया है, जिससे योग्यतम व्यक्ति आ कर वहां बैठें और यहां के कार्य में सलाह दें । सुप्रीम बाड़ी लोक सभा है परन्तु सलाह देने का अधिकार उनको है, जैसे बुजर्ग बच्चे को सलाह देता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा । उन लोगों के अनुभव से लाभ उठाने की बात राज्य सभा में आती है । जो वर्तमान ढांचा है राज्य सभा का उसमें परिवर्तन आवश्यक है और वह यह कि पार्टियों के आधार को बदला जाए । इस समय रिप्रजन्टेशन पार्टी के आधार पर है । जो लोग चुनावों में यहां नहीं आ सके है वह लोग पार्टियों के द्वारा राज्य सभा में आ जाते हैं वहां पर प्रतिनिधित्व का आधार इस भावना से होना चाहिये कि वहां हर स्तर के लोग आयें । जितने भी जीवन के स्तर हैं, जैसे व्यापार है, इंजीनियरिंग है, उनमें से हर लाइन के एक्सपर्ट वहां आये । मैं समझता हूं कि राज्य सभा के मेम्बरों में आधा रिप्रजन्टेशन एक्सपर्ट लोगों का होना चाहिए, जहां पर हर विषय के एक्सपर्ट हों । उनमें डाक्टर्स इंजीनियअर्स आयें, व्यापारी आयें, इंडस्ट्रियलिस्टस आयें, किसान आयें । जब हर विषय के एक्सपर्ट आयेंगे तो वे अपने विषय पर ठीक राय दे सकेगें । लेकिन वर्तमान ढांचा इस प्रकार है कि पार्टियों के आधार पर लोग बाग आते हैं ।

अब यह चीज रह जाती है कि माननीय सदस्य ने प्रत्येक प्रान्त से चार चार प्रतिनिधियों कीबात रखी है । अगर चार चार रख दें तो फिर क्या होगा ? अगर आप ने चार चार प्रतिनिधि छोटी छोटी रियासतों को दे दिया तो फिर हर क्षेत्र में भाषा और जाति का सवाल आयेगा । दुर्भाग्य से देश आज विघटन की ओर जा रहा है । एकता की ओर से विघटन की ओर । जब हर राज्य को चार चार का प्रतिनिधित्व मिलेगा तो फिर हर जिला एक स्टेट बनकर खड़ा हो जाएगा । अगर चार चार प्रतिनिधियों का आधार रखा गया और वर्तमान आधार नहीं रहा तो देश को वह बटवारे की ओर ले जाएगा ।

इस विधेयक में सिद्धान्त की त्रुटि है वह यह कि हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते है और प्रजातंत्र की बात यह है कि बहुमत की भावना का आदर हो देश में । बहुमत की आवाज देश की आवाज मानी जाय । अगर आप ने बहुमत को मान लिया तो उत्तर प्रदेश आकर कह सकता है कि यह 8 या 9 करोड़ का इलाका है, उसमें प्रान्तीयता की भावना नहीं है, भाषा की भावना नहीं है फिर भी इतनी बड़ी जन-संख्या के प्रदेश से नागालैंड

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

जैसा छोटा प्रदेश चार प्रतिनिधि लेकर बराबरी करना चाहता है। यह क्या तमाशा है ? फिर क्या यह प्रजातंत्र रह जायेगा ? अखिर क्या बनेगा । यह देश खण्ड खण्ड बनकर खड़ा हो जायेगा और इसके पीछे प्रजातंत्र खतरे में आ जायगा। मैं इस बात का समर्थक हूं कि इस देश को विघटन की ओर न ले जाकर, इस देश को भाषा आदि की ओर न ले जाकर हर दिशा में सुरक्षा मिलनी चाहिये ऐसे समय में इस देश का विभाजन और खण्डन केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिये और सभी भाषाओं को उसमें सुरक्षा होनी चाहिये थी। इसके सम्बन्ध में अंग्रेजी काल में भी कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन हमारे नेताओं ने अलग अलग मिनिस्टर बनने की होड़ में, लीडर बनने की होड़ में अलग अलग नारे निकाल डाले और देश को अलग अलग प्राविन्सेज में बना कर खड़ा कर दिया। आज हर आदमी अपने को अलग सिद्ध करने की कोशिश करता है, भले ही वह दूसरे रूप में हिन्दी हो। हरियाणा में जो बोली जाती है उसको वह कहते हैं कि हरियाणवी भाषा है क्योंकि हमारा अलग प्राविन्स बना। अगर इस तरह का प्रलोभन और दिया गया तो देश में आग लग जायेगी और तमाम देश गड़बड़ा जायेगा।

मैं समझता हूं कि जब इस देश के बटवारे की बात आती है तो उसमें अधिक से अधिक पांच क्षेत्र होने चाहिए। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर और मध्य। समूचे देश को पांच यूनिट बना कर चलाया जाये। मैं फेडरल ढांचे की बात में विश्वास नहीं करता। मेरा यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट में विश्वास है। यह समूचा एक देश है। उनका सुख दुःख, उनका सब कुछ एक साथ है। सबको समान अधिकार है, इस प्रकार की भावना के साथ हमें चलना चाहिये था।

मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा। मैं इस बिल की भावना का आदर तो इस लिये करता हूं कि किसी को देश में यह महसूस न हो सके कि चूंकि हमारी थोड़ी सी संख्या है, इसलिए हमारी आवाज नहीं उसकी आवाज को बल मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर प्रतिनिधित्व को बात आ जाये। हमारे चौधरी साहब ने अमरीका की बात कही उन्होंने अमरीका का इतिहास पढ़ा होगा कि उनको कोन से नतीजे पर ला कर खड़ा किया है। वह एक साथ मिलने को तैयार नहीं थे। उनको मजबूरन फेडरल ढांचा खत्म करना पड़ रहा है। इस देश में आदि काल से भविष्य एक रहा है,उसकी भावना एक रही है और उसको उसी ओर ले जाने वाला यह बिल है। इस बिल पर विचार करके और वह पूर्ण रूप से देश के हित में हो यह सोचकर निर्णय किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य ने जो बिल प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री नाथूराम अहिरवार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिल प्रस्तुत किया है मैं उस का हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे यह डर लगता है कि उस का पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कहेंगे कि नागालैण्ड से चार प्रतिनिधि आयेंगे, उत्तर प्रदेश से चार प्रतिनिधि आयेंगे, मध्य प्रदेश से भी चार आयेंगे। लेकिन जब हमारे नेताओं ने यहां का संविधान बनाया तब उन्होंने उस में यह व्यवस्था की कि आखिर हम किस आधार पर राज्य सभा का गठन करेंगे। एक आकार तो था जन संख्या का। आज जो संशोधन रक्खा जा रहा है वह यह कि सब राज्यों का बराबर का प्रतिनिधित्व रहे। कल जब आप नागालैण्ड के चार प्रतिनिधि कर देंगे तब जिस क्षेत्र का

प्रतिनिधि नहीं आयेगा तो कहेगा कि मेरे जिले का नहीं आया। इसी प्रकार से तहसील का आदमी कहेगा कि मेरी तहसील का आदमी नहीं आया। इस तरह से हम बजाय अपने देश को एक करने के विघटन की ओर ले जायेंगे।

मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की भावना को ले कर सरकार को इस बात के ऊपर अधिक विचार करना चाहिये कि आखिर लोगों के हृदय में यह भावना जगती क्यों है क्यों कि इस का कारण असन्तुलन है। पिछले 22 सालों में जो तीन पंच-वर्षीय योजनायें हुई हैं लेकिन हम ने देखा कि जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र रहे हैं उन में असन्तुलन रहा। वहां विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली के आस पास 30-35 मील के क्षेत्र में सारे देश के कारखाने लगे हुए हैं। अगर किसी पिछड़े हुए क्षेत्र के लिये कहा जाता है कि वहां कारखाना खोला जाय तो कहते हैं कि रा मैटीरियल नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली में कौन सा रा मैटीरियल मिलता है। न कपास होती है न लोहा होता है और न कोयला होता है। लेकिन सारे कारखाने दिल्ली के ही आस पास मौजूद हैं। इस लिये जब तक क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर नहीं किया जाता तब तक देश के लोगों में क्षेत्रों की अलग अलग भावनायें जगेंगी कि यह हमारी बुंदेलखण्डी है, यह बृज भाषा है, और सब से बड़ी बात जो आती है वह यह कि हमें बैठ कर इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि देश में ऐसे कौन से क्षेत्र रह गये हैं, जहां के लोगों को यह भी पता नहीं है कि रेल गाड़ी कौन चीज होती है, मोटरगाड़ी कौन सी चीज होती है। आज विमान के द्वारा मानव चांद में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां ऐसे लोग भी हैं जिन को देश के अन्दर रोटी भी आसानी से नसीब नहीं होती।

अगर हम राज्य सभा और लोक सभा के बारे में बात करते हैं तो कुछ सुझाव देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि सारे देश को एक किया जाये, और संगठित हो कर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों के हैं, उन पर ही अधिक खर्च किया जाये। उन्हें अधिक संगठित कर के अन्य की भावना दूर कर के उन की मांगों को पूरा करें ताकि कभी किसी के दिल में यह बात न आये कि उन के छोटे एवं पिछड़े क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं देता। जब सहानुभूतिपूर्वक उन की छोटी छोटी बातें सुनी जायेंगी, स्वास्थ्य के हिसाब से, आवागमन के हिसाब से और खर्च के हिसाब से सब प्रकार की सुविधायें उन को उपलब्ध होंगी तब कोई कारण नहीं है कि कोई आदमी अपने देश में विघटन चाहे। अशोक ने अपने लड़के लड़की को विदेश भेजा था। हमारे शंकराचार्य उत्तर से दक्षिण तक गए थे। तब यहां कौन सा बटवारा था? हमारे शास्त्र और हमारा धर्म इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा देश एक था। हम सब एक थे। हम नहीं चाहते कि हमारा विघटन हो। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिल कर आगे बढ़ें। अगर मिल कर सब को आगे बढ़ना है तो हमें सोचना होगा कि हम धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रान्त के नाम पर काम न करके देश के नाम पर काम करें। हम साथ साथ यह भी देखें कि कौन सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और कौन सा क्षेत्र हमारा पीछे रह गया है। ऐसे क्षेत्रों को हम आगे बढ़ायें, उनको आर्थिक सहायता पहुंचायें और उन को साथ ले कर हम देश को आगे बढ़ायें। बजाय इसके कि हम कुछ आगे बढ़े हुए प्रान्तों को ज्यादा प्रोत्साहन दें और दूसरों को कम दें, हमको पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता अतः आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापिस ले लेंगे।

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Mr. Chairman, Sir, I support this Bill, but I would like to observe that this is not going to materially affect the present political structure and give us a true federation in the real sense of the term. But, as the previous speakers have pointed out, as a beginning, I think it would be a good step, but substantially, I feel it is not going to give any kind of satisfaction. Even about the argument advanced by Shri Randhir Singh, I doubt very much. It is true that in the changed circumstances, in the Rajya Sabha, it is quite likely that in the near future, the Opposition there will be in a majority and not the Congress. In that context, even the aspect that he thinks about may not materially affect the change that may come about if the Bill is accepted. Really, there is not much except that it gives us an opportunity to think about the real concentration that it there in Delhi.

After freedom in this country, all along, the concentration is being increased. Nowhere in the past two decades we ever thought of giving more power or autonomy, financial political or otherwise, to the States. But in spite of that kind of trend, what we find in this country is that the States, small or big, indeed every State is today demanding, and feeling aggrieved that their needs are not being properly looked after including Uttar Pradesh, including developed States like Maharashtra, Gujarat and West Bengal and so on. Indeed every State feels that relatively they are not developed, and what they deserve from Delhi, they are not getting. I remember once, when in this Lok Sabha, some Members advanced an argument. from each State, saying that their State was being neglected, the Home Minister stood up and jocularly remarked, "I wonder what is happening to the resources and our revenue if all the States in India are neglected." But still. the fact of the matter is, the feeling is there.

What I would like to press upon and urge upon the Government is to think seriously over this issue. Unless we remove the feeling—whether it is a fact or not is a different matter and I do not want to enter into that argument at all, because it may or may not be true that some States are neglected and some are not—we cannot progress, because that feeling is very much alive. If that kind of development has been allowed to take place in this country, there is something readically wrong in our political set-up. That is what I would like to press upon the Government.

What I feel is, unless we remove the feeling of grievance from a particular section or community or a language group, that they are being exploited and some other group—whether it is Bihari, Rajasthan, Tamilians or UP-ites or some other language group—is living at their expense and at their cost, it will become difficult. That suspicion of grievance must be removed from the mind of the people. Unless that feeling is removed, we cannot achieve real unity and a peaceful federal set-up in this country. So, the need of the hour is more devolution of financial powers to the State. In fact, this question was agitating the mind of the government also for the past few years. Many Chief Ministers, including Congress Chief Ministers have raised this issue in the National Development Council. I do not know whether the government will move in that direction. Our experience of the past being what it is unless we do something to change radically the set up that is at present prevailing in this country, we can never satisfy any region.

For example, what is the purpose of having so many departments, duplicating the legitimate work that the State is doing, like community development, educaton, health and so on. They are superfluous departments in the Centre and yet their establishments are proliferating like anything and a major portion of the revenue is eaten away by the establishment

itself without giving any benefit to any section of the community at large. These are moot points which government should seriously consider and come to some conclusions.

Here I would like to point out one thing. Some people talk highly and say we are one, this country is one, India is a great nation and all that. Sometimes I feel they protest too much. If we are truly one, if everyone in his heart of heart feels we are all one, citizens of one great nation, we need not protest so much. I have a suspicion that in our heart of heart what is uppermost is not the interest of the country as a whole but the interest of a particular region. Historically, culturally and in so many other ways we have varied interests; let us not hide it. But, we have to make this country one big nation. Let us accept that position. After accepting that, we have to see how best to remove the suspicion, dissatisfaction that is there in the minds of various sections of our people. So, we should make an honest attempt in that direction.

When we suspect the patriotism of some people it offends the integrity and oneness of our country. We should avoid it. On behalf of my party I would say that we honestly believe that every political party in this country is patriotic; I am including the Communist Party here specifically because some people repeat that they are not patriotic, their loyalty extends beyond the territory of this country. Their theories might be different, they may be getting guidance from great men who were born in other countries; still, if we go on bandying them and dubbing them as unpatriotic, it is not going to help us.

In the same way, there is a feeling of jingoism from the Hindi belt. Even today they are saying that they are the real patriots of this country and those who do not know that language are really suspect in their eyes. If we really want to achieve integration of this country then we should get rid of this kind of feelings.

We should remember that historically this country is not one; geographically this country is not one; culturally this country is not one. For the past two decades we have been making efforts to preserve and strengthen what was achieved by the British. It is a thin political unity. We are making every effort to see that this country really becomes one nation. It is a great and difficult task. So, let us make honest efforts and go ahead, learning from past failures. Let us remember that those who demand more rights for the States, they are as much, if not more, for the integration of the country.

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। झा जी ने जो बिल रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सारी दुनिया में और अपने देश में जो हालत पैदा हो रही है वह हालत यह है कि हर एक आदमी, हर एक देश, हर एक भाषा के बोलने वाले और हर एक माइनारिटी के लोग अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। पूरे समाज और पूरी दुनिया में आज एकता और बराबरी का तकाजा आ गया है। इस पृष्ठभूमि में, इस सन्दर्भ में यह बिल रखा गया है। यों तो हरेक पार्टी यह समझती है कि राज्य सभा की कोई जरूरत नहीं है और विधान परिषदों की राज्यों में कोई जरूरत नहीं है जैसा कि बंगाल में किया भी गया है और और जगहों में भी होने वाला है। आज हम यह नहीं मानते कि राज्य सभा की कोई जरूरत है क्योंकि उस में फिजलखर्ची होती है और बेकार का समय नष्ट होता है। फिर भी यह बिल अभी यहां जो रखा गया है वह राज्यों के प्रतिनिधित्व में जो असमानता है उसे दूर करने के लिए लाया गया है और ऐसी अवस्था में इस का समर्थन हम करते हैं क्यों कि इस बिल के अन्दर एक बात यह है कि हम इस बात को मान रहे हैं कि इस देश के विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ है जिस में छोटे राज्य भी हैं, बड़े राज्य भी हैं,

[श्री क० मि० मधुकर]

विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग भी हैं तो जब हम इस बात को मानते हैं कि हमारे यहां जनतन्त्र है और मानते हैं कि देश में एकता होनी चाहिये तो जो भी राज्य हैं चाहे वह नागालैण्ड हो, चाहे काश्मीर हो, चाहे तामिलनाड् हो, चाहे छोटे राज्य हों चाहे बड़े राज्य हों,सब राज्यों को कौंसिल आफ स्टेट्स में समान हक मिलना चाहिए। समान अवसर होना चाहिए। नहीं तो चौधरी रणधीर सिंह ने अभी कहा है उन के बोलने का अपना ढंग है उन्होंने बड़ी मछली और छोटी मछली की बात कही लेकिन बड़ी मछली और छोटी मछली की बात हो या और कोई बात हो यह जो आज जनसंख्या के आधार पर राज्य सभा में प्रतिनिधित्व होता है तो नतीजा यह होता है कि कुछ राज्यों का उस में डामिनेशन होता है। यह यथार्थ है। जैसा कि श्री कंडप्पन ने कहा है वह भी एक यथार्थ है कि विभिन्न वजहों से, ऐतिहासिक वजह से भौगोलिक वजह से या और भी वजह हो सकते हैं जिन से कुछ क्षेत्रों का समान विकास नहीं हो पाया है। इस की वजह यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था में निश्चित रूप से तमाम क्षेत्रों का एक समान विकास हो नहीं सकता है। यह पूंजीवादी व्यवस्था की प्रणाली का एक हेरिडिटरी लाजिक है, उस का एक जन्मजात गुण है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सभी जातियों का, सभी क्षेत्रों का, सभी इलाकों का एक समान रूप से विकास नहीं होता है क्यों कि समान रूप से विकास होगा तो पूंजीवादी हुकमत की लूट जारी नहीं रह सकती है। इस देश में भी 20–22 वर्षों से पूंजीवादी हुकूमत है और इस हुकूमत के चलते हुए आज तेलंगाना का सवाल पैदा हुआ। कुछ लोग और बहुत सारे सवालों की बात कर रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है कि पूंजीवादी शोषण और लूट यहां जारी है। पूंजीवादी राज्य-व्यवस्था जारी है, पूंजीवादी सरकार है और पूंजीवादी सरकारों में यह असम्भव है कि क्षेत्रीय, भाषा सम्बन्धी या जितनी जातियां हैं, जितने इलाके हैं उन की संस्कृति और समुदाय की जो अलग अलग समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाय। इसलिए जब तक यह राज्य व्यवस्था रहेगी तब तक जाहिर बात है कि कठिनाइयां आती रहेंगी। फिर भी हम समझते हैं कि देश की एकता जरूरी है। देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करने की जरूरत है जिस में चाहे काश्मीर के लोग हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे मैसूर के हों, किसी भी राज्य के हों वह यह समझें कि लोक सभा में जनसंख्या के आधार पर हमारा प्रतिनिधित्व है लेकिन राज्य सभा में हम सब की एक समान स्थिति है, राज्य सभा में हम सब एक समान रूप से अपने हकों का फैसला करने में काम कर सकते हैं। यह देश की एकता के लिए भी जरूरी है। जिन लोगों ने यह कहा है कि यह तो देश का विघटन करने वाली बात है, मैं नहीं समझता हूं कि इस में ऐसी कोई चीज है, वह तो खुद ऐसे लोग हैं जो देश में विघटन करने वाली बातों को बढ़ाते हैं, जो जाति जाति में लड़ाई कराते हैं, धर्म धर्म में लड़ाई कराते हैं, हिन्दू मुसलमान में भेद पैदा करते हैं। जब ऐसे लोग देश की एकता की बात करते हैं तो वह सिवाय हास्यास्पद लगने के और कुछ नहीं होती। ऐसे लोगों के मंह से एकता की बात कुछ समझ में नहीं आती है। देश की एकता के लिए जरूरी है कि चाहे वह भाषाओं के आधार पर हो, चाहे जातियों के आधार पर हो, चाहे आर्थिक हो, इन तमाम क्षेत्रों को समान रूप से विकास के लिए मौका दिया जाय। उस में एक कदम के रूप में, एक शृंखला के रूप में यह हमारा बिल है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। वहां इस पर गौर किया जाय। इस को जो वातावरण मिला है हाउस में, अभी कांग्रेस के लोग भी और दूसरे लोग भी बोले, किसी ने कहा कि इस की भावना को वह

पसन्द करते हैं, किसी ने और तरह से इस का समर्थन किया, मतलब यह है कि यह बिल सही है, इस के औचित्य से किसी ने इन्कार नहीं किया है। इसलिए हम समझते हैं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाये और राष्ट्रीय एकता के लिए तथा समाजवाद की दिशा में एक कदम उठाने के लिहाज से भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए और जोरदार समर्थन करना चाहिए।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Mr. Chairman, Sir, after hearing the speeches made on this small measure, I think, some of the speakers or even the mover of the Bill have not appreciated the historical and geo-political conditions that prevailed at the time of framing the Constitution.

When we talk of the United States of America, we must always remember that the conditions were totally different there. There were different sovereign States and, naturally, those sovereign States wanted to come together to form the Union. There were two trends of thought or rather two camps based on two trends of thought. One school of thought was based on the complete and total rights of the States and the other trend of thought was based on more powers for the Union. In the tussle over the Virgina Plan *vs.* other plans, the Virgina plan was accepted and they evolved what is known as the Pennsylvania plan which means, in simple language, the emergence and acceptance of the federal principle. The federal principle, in simple language, means coming together and yet remaining separate, forming a Union on the basis of cooperation. This federal principle brought in two types of equalities under the Constitution of the United States of America, the quality of the people and the equality of the States.

So far as our country is concerned, those conditions were not present. Here, in our country, we had what is known as the British India and the other as the Indian India. At that time, when the Constitution was about to be framed, the primary question was how to bring about unification of the Indian people and of the Indian States and the British India together. When they thought of these things, the founding fathers accepted one type of equality only, that is, the equality of the people. They did not accept the other equality, the equality of the States. The founding fathers accepted the equality of the people as a principle and enshrined it in the Constitution in articles 325, 326 and 327. Our founding fathers did not accept the principle of the equality of States. Therefore, we have come to this arrangement and accepted the arrangement as it is under the Constitution.

When we talk about the equality of States, we have got to have smaller States of, more or less, the same sizes. I do not know whether the country, the statesmen and the politicians, all those who are in power and authority both at the Centre and in the States, are in a mood to have division of different States into smaller States so that the equality of States' representation could be given on equal footing to different States. With the sizes of different States as they exist, there can be no equality of States at all brought in the Council of States. Therefore, we have got to see the geo-political conditions prevailing in the country. So, I oppose this measure.

There is one more point. The Council of States, as it is constituted, gives some representation to the minorities. Now, if we accept the principle underlying the Bill, in what way, in what manner and how could the representation to the minorities be given?

How could they be given representation if equal representation to different States is accepted?

With these words, I oppose this Bill.

SHRI UMANATH (Pudukkottai): The principle underlying the Bill, namely, the equality of States, is a welcome principle. But the question of inequality is inbuilt in our Consti-

[Shri Umanath]

tution itself and the latest that we saw was during the Presidential Election. The MLAs—the elected people—of the Union Territories are totally barred from casting votes in the Presidential Election; because they represent the ordinary people there; but here the Rajya Sabha members who are not directly elected by the people have got the right to and that too, carrying a value of 576 votes. The representatives of ordinary people are not entitled to vote; so, the question of inequality is inbuilt in our Constitution itself. Now a Constitution Amendment Bill has been brought here to remove that inequality. If we think that by this amendment of equal representation to all States in the Rajya Sabha we can advance in the direction of true federalism and balanced development of various regions, I should say that we are mistaken; that purpose will not be served by this amendment. This is my strong feeling.

I want to know what has the Rajya Sabha, as it is constituted today, to do with federalism. With regard to its powers with regard to its present position, it has nothing to do with federalism as such; it has nothing to do with regional development. The powers of the Rajya Sabha are not related to them at all. First of all, the Rajya Sabha must be abolished. That is my proposition. Have a new body like the one that we have in the Soviet Union, the House of Nationalities, where equal representation is given to all, and with similar powers. Secondly, there must be maximum regional autonomy. Unless you fulfil these two principles, the implementation of the principle of equality, proposed by my hon. friend, in the Rajya Sabha will not help. Let us take the Rajya Sabha as it is today and see what are its powers. It has no separate powers; even the financial powers that we have, they do not have. Why is the Rajya Sabha there? It is said that we must have some elders and all that. I do not think that elders cannot stand for election. You are an elder you stood for election, you got elected, you got the confidence of the people. He is also an elder. So, elders can as well stand for election, get elected and come here. Why should we have a Rajya Sabha just to accommodate the elders who can stand for election and come here?

Then it is said that it is putting a brake on hasty legislative action. In our country that danger is not there. The real danger that we are facing is of delay and not of haste. What I would like to submit is this. In the ultimate analysis, this Rajya Sabha as it is constituted today, where my friend proposes to have equal representation, after all is said and done, is just a berth for some defeated politicians. So, my first point is that the Rajya Sabha must be abolished. As I said, with proper powers to deal with the question of federal problems, with proper powers to deal with the question of regional imbalance, with such important and substantial powers, if we have a House where all the States will be equally represented, then that will be something in the direction of what we seek. to have.

Secondly, as I was saying, there must be maximum autonomy to the States. Without that, this alone will not be sufficient; it will not help. When I say 'maximum autonomy', I mean that the Central Government's powers must be limited to external affairs, defence, communications and like that; excepting these, all the other subjects must be given to the States. It must be given to the States. So also the question of devolution of financial powers. If this is done, that is, barring External Affairs, Defence and Communications, if all other subjects are given to the States, naturally their finances also will get adjusted. Then the Central Government will be given power to tax to the extent needed to run the three Ministeries of Defence, External Affairs and Communications. That alone need be done.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON): Would you have a Law Minister?

SHRI UMANATH: No Law Minister.

So, what I am saying is that if this is done, barring these three subjects, all other subjects are transferred to the States, then the question of finance, only to the extent necessary, that amount of taxing power need be there for the Centre and all other powers, even taxation power, must be left to the States so that they may be able to mobilise their resources. Unless we abolish the Rajya Sabha and constitute a new House on the pattern of the House of Nationalities in the Soviet Union representing various regions with equal representation, with powers to deal with these questions relating to the federal aspect and regional development and maximum autonomy for the States merely giving equal representation to the States will not solve the problem.

SHRI GOVINDA MENON: Mr. Chairman, Sir, we have had a very interesting discussion which I enjoyed very much as a student of political science. I would personally like to see the state of affairs contemplated by Mr. Jha coming into existence. If a giant State like UP and a pigmy State like mine are to have equal representation, I would be very happy about it.

Sir, I do not want to go over the very wide ground which has been covered by friends like Shri Kandappan or Shri Umanath. Not that I have any disagreement with them. I do not also want to speak here about States' autonomy and about the redistribution of legislative and executive powers between the States and the Centre. Greater power for the States means redistribution of subjects in the seventh Schedule. I do not want to dwell upon the dangers involved in that matter also. If you think about it, you will see that it will lead to certain difficulties. Take for example income tax. If Mr. Umanath's suggestion is accepted, all the income-tax in India will at least for several years to come be collected by the States of Maharashtra and West Bengal and the income of States like Assam, Orissa, Kerala and Rajasthan, etc., from income-tax will be very limited. In a situation like this, our Constitution framers thought that income-tax should be a Central subject and then it should be distributed among various States. Now that is regarding devolution. This will apply to excise also. This will apply to import and export duties. India is a vast sub-continent and conditions differ from region to region and, therefore, probably it is better for the weaker States to have these powers vested in the Centre with proper safeguards for fair distribution of the revenues of the Centre.

AN HON MEMBER: Is there any fair distribution now?

SHRI GOVINDA MENON: I say proper safeguards for fair distribution. The Finance Commission, as years go on, seem to distribute more and more to the States than they used to. The Second Finance Commission was an improvement in that respect over the first. The Third was an improvement over the second. The fourth was an improvement on the third and the report of the new Finance Commission has come but it has not been published. I do not want to refer to it. I, therefore, would dwell solely on the question of Article 80, Article 4 and Schedule IV—which are sought to be amended by Mr. Jha.

Mr. Bhandare in his speech touched the real point. When the Constitution was framed, these States were not there. The Constitution-makers wanted to make the Constitution, as if the States mentioned in the Constitution existed there. That is what happened.

Madras State was there. Where is Madras State now? When the Constitution was framed, Madras State

[Shri Govind Menon]

was there: 3 years later, in 1953, it was bifurcated into two. In 1956 there was a major operatin in the body-politic of India. States Reorganisation came and the matter did not stop there. The bilingual State of Bombay was divided into Gujarat and Maharashtra. Subsequently Punjab and Harayana came into existence.

17 hrs.

Earlier today, in this House we heard fervent appeals for the creation of the State of Telengana. This was not the situation which obtained in America when the Constitution of the United States was framed. And, we here, try to follow the model of the American Federal Constitution..

As was ponited out by Shri Bhandare, there existed, before the Constituion was framed, 13 sovereign States and they decided to federate. Then the Constitution came into existence. And, at that time, in order to allay certain fears in the minds of the representatives of the various States, it was provided that the Senate shall have certain powers, powers much more than the Rajya Sabha has got, that the Senate shall have equal representation from the States and in the House of Representatives, the representation will be according to the population.

Now, in our Constitution, when it was framed, we thought the Rajya Sabha is a House of Representatives of the States and therefore it is called the Rajya Sabha. If you refer to Article 80 you will see that the Members of the Rajya Sabha are referred to as Representatives. If you refer to Article 81 you will see that the Members of the Lok Sabha are referred to as Members.

That is, we wanted to have an arrangement under which the Rajya Sabha will be a House, representing the various States, and the Lok Sabha, the House of the People.

As was pointed out by Mr. Umanath, although this was the orignial conception, the Rajya Sabha today has become an ordinary Upper House without any of the attributes which you have in the Senate of the United States of America. It is an ordinary Upper House. Let us face the facts. They have no powers with respect to Finance, and every legislation has to go there, if an amendment is made, it has to come back. It is like the House of Lords in the United Kingdom.

Now, it may not be practical at this time to accept Shri Jha's suggestion because, as I said, when the Federation or when the Union came into existence and the Constiution of the Union was enacted, we adopted unto ourselves a Constitution creating the States, and referring to them as if they existed all along.

Now, under the Constitution of the United States, the States are always permanent entities. You will see that under the Ameriacn Constitution, no new State can be created unless the Congress of that State and the Congress of the Federation alike decide upon that matter. What is it that we see here? By ordinary parliamentary legislation, not even by an amendment of the Constitution, you can bring into existence a new State, destroy a State, change the name of a State, take a portion from one State and a portion from another to put together and form a new State. Without meaning any disparagement to any of the States, States about which we are very proud—we come from different States—and using purely constitutional or legal language, I say that the States under the Indian Constitution are creatures of parliamentary legislation. The States of America were entities which existed before the Constitution was adopted.

First of all, what we should do in India is to give a sort of permanency to the States. That has not yet been

done. New demands are coming, as we saw earlier today. I used to feel sometimes that before we tinker with these things, the first thing to do is to repeal arts. 3 and 4 so that this demand will not be there.

For many reasons which have been stated by friends, it will not be possible or practicable to accept the amendment suggested by Shri Jha. Some attempt has been made to see that big States do not get too big a representation. A passage was read out by Shri Jha that States with a population of 5 millions and less will have one representative per million and if the population is above 5 millions, then the representation will be at the rate of one per 2 million.

I think the population according to the census of 1951 was taken into account for this purpose. The formula was an attempt to see that giant states like UP do not get a high representation. It will be slightly reduced, and small States will have a proportionately higher representation. But I do not think it is a federal principle. Before we attempt to adopt a federal principle, it is first necessary to have permanent entities of States here. Then alone we can think about these things.

Shri Umanath said that inequality is in built in the Constitution. He referred to the members of the legislative bodies in Union Territories not being allowed to vote in the presidential election. I had occasion to look into that matter. These Territories are sending representatives to the Lok Sabha. The number of people a member from a Union Territory in the Lok Sabha represents is much less than the number which the others represent.

SHRI UMANATH: The people may be less, but they are voters.

SHRI GOVINDA MENON: They are electors. In the matter of evaluation of votes cast for electing the President, we look into the number of people which the members represent.

For example, there is a member in this House representing the Laccadive Islands near Kozhikode. I think the number of voters he has will be 5,000 or 6,000. The number of voters in my constituency, and probably in Shri Umanath's, will be 6 or 7 lakhs. But all the three votes are equal in value to 576, the value given to votes of persons elected to the Lok Sabha from the States. For persons elected from Union Territories, that compensating element is there.

There are some Union Territories where there are no legislative assemblies. Out of 9 or 10, five or six alone have legislative assemblies.

SHRI UMANATH: In Kerala or Tamil Nadu both the M.L.A. and the M.P. have votes—not so in the Union Territories.

SHRI GOVINDA MENON: As I explained, in some there are no assemblies. If you take into account the votes which seven MLAs from my parliamentary constituency would have cast in the legislature in my State and what I would have cast here and compare it with the votes that Member elected to the Lok Sabha from the Union Territories would have cast, you will see there is not much difference or inequality. That is the real point. According to our Constitution India is a Union of States and when you elect a President for the Union, the representatives of the States vote. But this is a digression and I need not more about it. For the various reason given by the hon. Members here I request Mr. Jha, having discussed the matter and raised the idea, to leave it there and withdraw the Bill.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): सभापति जी, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह सन्तोष जनक नहीं

[श्री शिव चन्द्र झा]

है। केवल इसके कि मैं कुछ कहूं, जिन सदस्यों ने इस में हिस्सा लिया मैं उन का शक्रिया अदा करता हूं। एक, दो सदस्यों को छोड़ कर सबों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, उस की भावना की ताईद की है। कुछ ने यह कहा कि इस को कार्यान्वित करने के लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि वहां पर गौर हो और कोई रास्ता निकाला जाय। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस पर और तफसील से गौर करने के लिये अच्छा होगा कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि हम उस पर गौर कर सकें, राज्यों के विचार भी लिये जा सकें और तब एक रास्ता निकाला जाय। लेकिन मंत्री महोदय ने कह दिया मामला रेज कर लिया गया और बहस हो गयी, इतना काफी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे सामने समाजवाद और जनतन्त्र का लक्ष्य है और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिये तैयारियां की जा रही हैं तब बराबरी की भावना राज्यों के बीच में आये, राज्यसभा में नुमाइन्दगी बराबरी के आधार पर हो, यह बहुत जरूरी है, और इस को कार्यान्वित करने के लिये यह कदम बढ़ाना जरूरी हो जाता है।

मंत्री जी ने कहा कि मामला रेज हो गया, लेकिन सरकार इस बारे में क्या सोच रही है, यह नहीं बताया। माननीय कृष्णामाचारी ने कहा था कि राज्यों का संगठन अभी फाइनल नहीं हुआ है, इस की तफसील में नहीं गये हैं कि आने वाले दिनों में इस का क्या रूप होगा। बल्कि जो कांस्टीटुऐन्ट कमेटी की रिपोर्ट आयी है उस आधार पर राज्य सभा का संगठन करने जा रहे हैं। लेकिन कृष्णामाचारी ने कबूल किया कि इस में परिवर्तन की जरूरत है और उन का इशारा था कि सही माने में फेडरल सरकार उस ओर जायगी आने वाले दिनों में। वजह यह थी जिस को यह नहीं पकड़ सके, और मंत्री जी ने कुछ रोशनी नहीं डाली, जब कांस्टीटुऐंट असेम्बली चल रही थी तो देशी हिन्दुस्तान यहां था। ब्रिटिश हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आन्दोलन मजबूत थां, जो कांस्टीटुऐंट असेम्बली में संविधान बना रहे थे वे राष्ट्रीय लोग थे और देशी राज्यों में भी यद्यपि जन आन्दोलन था लेकिन वह उतना मजबूत नहीं था, और संविधान बनाने वालों को पूरा ध्यान था कि हमारा संविधान बने और जो राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर है उस में ज्यादा लोग आयें और राज्य सभा में जब वह लोग आयेंगे तो हमारा मकसद ज्यादा हल होगा। कांस्टीटुऐंट असेम्बली की रिपोर्ट टी० टी० कृष्णामाचारी ने जिस तरह पेश की और जिस तरह से उन्होंने अपना भाषण किया उस से साफ हो जाता है कि वह मान कर चले कि हमें परिवर्तन लाना होगा और बराबरी के आधार पर लाना होगा।

अमरीका में राज्य इनडेस्ट्रक्टेबिल हैं। लेकिन जो बराबरी देने की बात आयी थी सीनेट में वह इसलिये आयी थी कि अमरीका एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि वह एक राष्ट्र बनाया गया, अमरीका के संविधान के जरिये उसको एक राष्ट्र बनाया गया, वहां बराबरी के आधार पर नुमाइन्दगी दे कर राष्ट्र को मजबूत किया और एक गठन में आये। यहां भी आप को राष्ट्र को मजबूतकरने के लिये केन्द्रीयकरण की जो बात है उसमें बराबरी की भावना आपको लानी होगी। अब वह समय नहीं जैसा हमारे फोरफादर्स ने कहा है। आज परिवर्तन आ रहे हैं, राज्य यह महसूस नहीं करते हैं कि उनके साथ बराबरी के आधार पर सलूक किया जाता है। केन्द्र और राज्यों के बीच में मतभेद आ रहे हैं, विषमता महसूस करते हैं और भी बहुत सी समस्यायें हैं रीजनल इमबैलेन्सज आदि की। इसलिये जरूरी हो जाता है कि हम इसकी जड़ में जायें।

माननीय जय प्रकाश नारायण जी ने कहा कि छोटे छोटे राज्य बनाये जायें, तो उन्हें बराबरी के आधार पर राज्य सभा में रिप्रजन्टेशन देने में क्या खराबी है । इससे जनतंत्र और भी मजबूत होगा, राज्यों को ग्रटोनामी दें, संघीय ढांचा बनाये रखें और बराबरी के आधार पर लोग आयें तभी राष्ट्र मजबूत हो सकता है । मंत्री जी ने यह भी नहीं कहा कि हम देखें कि क्यू०ई०डी० तक यह बात पहुंचती है ।

माननीय त्यागी जी ने बहुमत की बात उठायी । तो बहुमत के लिये तो लोक सभा है, यहां पर आबादी के आधार पर लोग आते हैं । वहां राज्य सभा उसका नाम है, वह राज्यों की सभा है इसलिये वहां पर बराबरी के आधार पर आप को आना होगा । अमरीका में छोटे से छोटे राज्य और बड़े से बड़े राज्य को बराबर का अधिकार मिला हुआ है । अगर हम भी बराबरी का सिद्धान्त अपनायें तो नागालैंड और यू०पी० में बराबरी की भावना आ जायेगी और तभी हमारा फैडरल स्ट्रक्चर चल सकता है ।

श्री मंडल ने मेरे विधेयक का विरोध किया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ । आश्चर्य होता अगर वह बराबरी की बात को मान लेते । बुनियादी तौर पर वह बराबरी में विश्वास नहीं रखते इसलिये आश्चर्य नहीं हुआ । उन्होंने बहुत सी बातें यहां उठाई और बहुत सी संकीर्णता की लेकिन मैं उनमें जाना नहीं चाहता । मैं फिर मंत्री महोदय से और इस सदन के संसद-सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस बात को वे छोड़े नहीं ।

श्री मंडल ने पूछा कि कैसे रिप्रजन्टेशन होगा ? मैंने कहा कि अभी पापुलेशन के आधार पर है । पापुलेशन के आधार पर रिप्रजन्टेशन होने से यह होगा कि चूंकि यूनियन टैरीटरीज में पापुलेशन बहुत कम है उनको बहुत कम रिप्रजन्टेशन मिलेगा । हो सकता है कि पापुलेशन के आधार पर चण्डीगढ़ और अन्दमान निकोबार बिल्कुल छूट जायें । इन सब बातों की तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता । मैं कहता हूं कि एक कमेटी के सुपुर्द कर के बराबरी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाये : कोई भी क्राइटरियन आप बना लें मेरे विधेयक से उसमें बराबरी की भावना होगी, संघ मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा और जो हमारा लक्ष्य है, समाजवाद और जनतन्त्र आगे की ओर तेजी से बढ़ेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि यह विधेयक सदन कबूल कर ले ।

MR. CHAIRMAN: This being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be done by division. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The Lok Sabha divided.

Division No. 21] **AYES** **[17.28 hrs.**

Bhadoria, Shri Arjun Singh
Chandra Shekhar Singh, Shri
Jha, Shri Shiva Chandra
Kameshwar Singh, Shri
Satya Narain Singh, Shri
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Sheopujan
Thakur, Shri Gunanand

NOES

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Aga, Shri Ahmad
Ahmed, Shri F. A.
Babunath Singh, Shri
Barua, Shri Bedabrata
Barupal, Shri P. L.
Bhakt Darshan, Shri
Bhandare, Shri R. D.

Bhargava, Shri B. N.
Buta Singh, Shri
Chanda, Shri Anil K.
Chandrika Prasad, Shri
Choudhary, Shri Valmiki
Das, Shri N. T.
Dass, Shri C.
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ganga Devi, Shrimati
Ghosh, Shri Bimalkanti
Hari Krishna, Shri
Jadhav, Shri Tulsidas
Kamble, Shri
Kedaria, Shri C. M.
Kesri, Shri Sitaram
Khanna, Shri P. K.
Krishnan, Shri G. Y.
Krishnappa, Shri M. V.
Kureel, Shri B. N.
Laskar, Shri N. R.
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahida, Shri Narendra Singh
Malhotra, Shri Inder J.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mane, Shri Shankarrao
Master, Shri Bhola Nath
Menon, Shri Govinda
Minimata Agam Dass Guru, Shrimati
Pahadia, Shri Jagannath
Panigrahi, Shri Chintamani
Pant, Shri K. C.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Poonacha, Shri C. M.
Pramanik, Shri J. N.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Ram Dhani Das, Shri
Ram Swarup, Shri
Randhir Singh, Shri
Reddy, Shri R. D.
Sankata Prasad, Dr.
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sehti, Shri P. C.
Shankaranand, Shri B.
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Shiv Chandika Prasad, Shri
Snatak, Shri Nar Deo
Sonavane, Shri
Tiwary, Shri D. N.
Uikey, Shri M. G.
Verma, Shri Balgovind
Vyas, Shri Ramesh Chandra

MR. CHAIRMAN: The result of the division is: Ayes—8; Noes—66. The motion has not been carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was negatived.

17.26 hrs.

PUBLIC UNDERTAKINGS (COMPULSORY APPROVAL OF AGREEMENTS) BILL

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Mr. Chairman, I move:

"That the Bill to provide for compulsory scrutiny and approval by a Central Authority of agreements entered into by public undertakings and matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

At the outset I should like to emphasize that I have brought forward this Bill in a constructive spirit and that it is based on my exeperience as a member of the Public Undertakings Committee.

The object of this Bill is to ensure that agreements which are entered into by public undertakings are thoroughly scrutinised and approved in their final form by a central authority in the Ministry of Finance so that there are no lacunae or shortcomings left in the agreement which would cause any loss to the public undertakings.

It has been noticed in the past that several public undertakings have entered into agreements with foreign collaborators or local parties and on scrutiny subsequently by the Public